न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/50/2021

सोनवीर पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी मण्डी मिर्जा खां थाना फतेहपुर सीकरी तहसील किरावली जिला आगरा (उत्तरप्रदेश)।

.....प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये पैरोकार

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत वाहन पिकअप संख्या यू.पी. 80 एफ.टी. 4654 व मुकदमा एफ.आई.आर संख्या 497 /2021 अन्तर्गत धारा 5,6,8 आर.बी.एक्ट गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 थाना नगर जिला भरतपुर

उपस्थित :–

1. श्री अमित कुमार एड0, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय

दिनांक 30.11.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड मालिक है। उक्त वाहन को पुलिस थाना नगर द्वारा दिनांक 04.10.2021 को जब्त किया हुआ है। जिसमें अनुसंधान अधिकारी को उक्त वाहन की आवश्यकता नही है और वाहन थाना परिसर में खुले में खडा हुआ जिसके बर्बाद होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड मालिक होने के कारण उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। प्रार्थी अपने वाहन को सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना भली भांति करेगा तथा अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन पिकअप संख्या यू.पी. 80 एफ.टी. 4654 को सुपुर्दगी दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना सेवर से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना सेवर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 16.11.2021 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थी ने अवगत कराया कि प्रार्थी वाहन पिकअप संख्या यू.पी. 80 एफ.टी. 4654 का मालिक है तथा थाना नगर द्वारा दिनांक 04.10.2021 को जब्त कर थाना परिसर में खुले में खडा हुआ है जहां उसके खराब होने का पूर्ण अंदेशा तथा जिसकी अब प्रकरण में भी पुलिस थाना नगर को भी आवश्यकता नही होना अवगत कराया गया है। वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क दिया है कि उक्त जब्त वाहन में गोवंश भरी हुई थी व जो कि गौकशी की परिवहन के लिये परिवहन किया जा रहा था। उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी एवं अनैतिक कृत्य तथा अवैध परिवहन के लिए किया गया है जो मानवीय कृत्य के विपरीत है। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना नगर की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना नगर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि दिनांक 04.10.2021 को वाहन पिकअप संख्या यू. पी. 80 एफ.टी. 4654 में तीन जिन्दा गया व दो जिन्दा बछडे व एक बछिया रस्सियों से कसकर बंधी हुई मिली जिनकी जीभ बाहर निकली हुई थी व मुंह से लार आ रही थी। उक्त गोवंश के बारे पूछताछ करने पर कभी फतेहाबाद आगरा तो कभी कठूमर अलवर तो कभी नगर ले जाना बताया गया। उक्त गायों को परिवहन कर हरियाणा ले जा रहा था तथा उक्त गोवंश को गौकशी के लिए उत्तरप्रदेश से राजस्थान होते हुए हरियाणा में परिवहन करने का कोई परमिट भी नही था। जिनके विरूद्व धारा 3,5,6,8 आर.बी.ए. एक्ट के तहत कार्यवाही कर जीवित गौवंश तीन गाय व एक बछिया व दो बछडे को गौशाला में छोडा जाना अवगत कराया गया है तथा थानाधिकारी ने अवगत कराया है कि प्रकरण में वाहन स्वामी से अनुसंधान किया जाना शेष है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा जब्त वाहन में गोवंश पाये जाने के सबंध में कोई तथ्य सिद्व नही किया गया है। मौके पर जब्त वाहन पिकअप संख्या यू.पी. 80 एफ.टी. 4654 में तीन गाय व एक बछिया व दो बछडे पाये गये है। जो कि उक्त वाहन में गोवंश को बेतरतीब से भरा होना पाया गया है। जो कि पशुधन के प्रति क्रूरतापूर्ण रवैया व

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अवैध गौकशी तथा अमानवीय कृत्य की श्रेणी में आता है। इससे यह तथ्य सावित होता है कि उक्त वाहन अवैध परिवहन व अनैतिक रूप से गौवंश की तस्करी में उपयोग में लिया गया है। प्रार्थी किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में जप्त गोवंश में संलिप्त वाहन पिकअप संख्या यू.पी. 80 एफ.टी. 4654 को सुपुर्दगी में नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी वावत् वाहन पिकअप संख्या यू.पी. 80 एफ.टी. 4654 खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी नगर (भरतपुर) को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर